

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 365/81-82

यह प्रमाणित किया जाता है कि लाला माधोराम भगवानदास चेरिटेबिल सोसायटी, अजमेर जिला अजमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक छब्बीस माह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ इक्यासी को जयपुर में दिया गया।

सील

रजिस्ट्रार संस्थाएं,
राजस्थान, जयपुर।

के० सी० भार्गव

रजिस्ट्रार संस्थाएं, राजस्थान,
जयपुर।

Principal
Manav Rachna International School
Sector-14, Faridabad